APP-A
Crime-I

FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

कैलाश व अन्य बनाम मेहराम व अन्य

किस्म मुकदमा/प्रार्थना पत्र–रेस्टोरेशन/नं0/2021/77 जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपी0 अधि0–हेमसिह राठौड़	
16.03.2021	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र पर मूल पत्रावली तलब कर प्रार्थीगण अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी वास्ते मूल अपील संख्या 80/2017 निर्णय दिनांक 20.10.2020 को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र पर निर्णय रिजर्व रखा जाता है। (डॉ. वीणा प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	
05-4-2021	प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली प्रस्तुत हुई। मूल पत्रावली के अवलोकन अनुसार न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 03.04.2018 को अपील संख्या 2018/00080 कैलाश व अन्य बनाम मेहराम व अन्य अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज हुई थी। आदेशिका दिनांक 2010.2020 अनुसार अपीलांट का अपील उसके द्वारा प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र दिनांकित 9.12.2019 को स्वीकार किया जाकर अपील को विड्रो के आधार पर खारिज किया गया है। चूकि मूल अपील को अपीलांट के अपील विड्रो प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खारिज किया गया है जिससे स्वयं के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को विड्रो किये जाने से पुनः उसी प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई कर आदेशिका दिनांक 20.10.2020 को पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी वास्ते अपील संख्या 80/2017 निर्णय दिनांक 20.10.2020 द्वारा विड्रो के आधार पर खारिज, को पुनः नम्बर पर लिये जाने का स्वीकार योग्य नहीं होने एवं पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. वीणा प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested